आयोजन किया था । इस संगोष्ठी का उद्देश्य उद्योग और अनुसंधान तथा विकास संगठनों द्वारा तैयार किये गए पेटेंट संबंधी दस्तावेजों में निहित प्रौद्योगिकी जानकारी के उपयोग को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना था ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी को दीर्घकालिक ऋण दिया जाना

3962. **श्री अजीत जोगी :**
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी को आसान शर्तों पर दीर्घकालिक ऋण दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं तथा उनके द्वारा कितनी-कितनी राशि दी गई है और ये ऋण किन शर्तों पर एवं कितनी अवधि के लिए दिए जाते हैं ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उक्त उपक्रमों द्वारा इस संबंध में सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Hiring of R & D Personnel by PSUs

3963. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what are the names of the Public Sector Companies which continue to hire R&D personnel ;

(b) which of the public sector undertakings are staffed by persons over 50 years of age in technical category;

(c) to what extent, with the recruitment ban, the public sector undertakings have suffered for want of talented and skilled technical persons ; and

(d) how Government propose to remove the R&D gap in the Public Sector Undertakings to make them economically viable ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) and (b) Since all appointments below the board level are made by the board of directors of individual PSUs without reference to Government, centralised data is not maintained at a dissegregated level to cover all disciplines including R&D.

(c) Does not arise as there is no ban on recruitment in the public sector where there is a need for such recruitment.

(d) Formulation of R&D policy is the responsibility of PSUs and forms a part of their overall corporate strategy.

लघु उद्योगों के विकास के लिए कानून की समीक्षा

3964. **श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्ल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से उन सभी कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें निरस्त करने के लिए कहा है जो लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में लघु और ग्रामीण उद्योगों के विकास की निगरानी के लिए कोई तंत्र विद्यमान हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हाँ ।

(ख) लघु, बहुत छोटे तथा ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देने और सुदृढ़ बनाने के लिए नीतिगत उपायों को, कार्यान्वयन की प्रक्रिया के रूप में, सरकार ने सभी राज्य सरकारों को राज्य के सभी नियमों और प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा करने की सलाह दी है ताकि जहाँ तक वे लघु तथा ग्रामीण उद्योगों पर लागू हैं उनको सरल तथा तर्क संगत बनाया जा सके ।

(ग) देश में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास की निगरानी के लिए सरकार ने उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग की स्थापना की है ।

(घ) विभाग को उसके प्रयासों में निम्नलिखित द्वारा सहायता दी जाती है :—

(1) विकास आयुक्त (लघु उद्योग)
(2) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग
(3) कॅयर बोर्ड
(4) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

इसके अलावा, राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय तथा खादी ग्रामोण उद्योग बोर्ड भी निगरानी कर रहे हैं ।

Licensing Norms for Sugar Mills

3965. SHRI CHATURANAN MISHRA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government has decided to relax the licensing norms for sugar mills; and